न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-43/2007

1- भागली पत्नी गुलाराम पुत्री स्व0 मुखाराम 2- शान्ति पुत्र स्व0 मुखाराम पत्नी लीलाराम 3- सरजा उर्फ सूरजा पुत्री स्व0 मुखाराम पत्नी लाजूराम 4- पतासी पुत्री स्व0 मुखाराम पत्नी हीरालाल	जाति गूर्जर निवासी कुरण्ड तहसील खेतडी जिला झुन्झुनू (राज0)
5- श्रीमती जडावली पुत्री स्व0 मुखाराम बेवा गुरूदयाल 6- राजेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 गुरूदयाल 7- श्रीमती सुमित्रा पुत्री गुरूदयाल 8- श्री लाली पुत्र स्व0 गुरूदयाल	जाति गूर्जर निवासी सलामपुर तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ (हरियाणा)

---अपीलान्टस---

--बनाम---

1- चावली पत्नी श्योदान तथाकथित बेवा जयदयाल जाति गुर्जर निवासी कुरण्ड तहसील खेतडी जिला झुन्झुनू (राज0)

2- उप पंजीयक खेतडी तहसील खेतडी जिला झुन्झुनू (राज0)

---रेस्पोडेन्टस---

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक
19-6-2007 द्वारा उप खण्ड
अधिकारी खेतडी ।

---0---

उपस्थिति-

1-श्री जगदीशचन्द्र एडवोकेट- अपीलान्ट

2-श्री भिमभूपाल एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 24.1.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीया/रेस्पोडेन्ट ने अदालत मातहत में एक दावा पेश किया जिसके साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि जमाबन्दी सं0- 2055 से 2058 में खाता संख्या-30 के ख0नं0 106, 120, 121, 122, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 163, 164, 167, 169, 168, 171, 178, 179, 181, 182, 183, 190, 191, 124/1, 489/118 कुल किता -25 रकबा 4 22 हैक्टर तथा खाता संख्या-52 के खसरा नं0 259, 262, कुल किता -2 रकबा 0 55 हैक्टर, खाता संख्या-53 के ख0नं0 263, 356 , 357, 358, 359, कुल किता-5 रकबा । 98 हैक्टर स्व0 मुखा की खातेदारी में दर्ज रही है । प्रार्थीनी मुखा की पुत्रवधु है ।अप्रार्थीगण सं0-। से 4 पुत्रिया तथा प्रतिवादी सं0 5 से 8 मुखा की पुत्री जडावली की पुत्रिया हैं । इस प्रकार मुखा के 5 पुत्रिया तथा एकजयदयाल पुत्र हुआ। जयदयाल की मृत्यु मुखा के जीवनकाल में ही हो गई । मुखा के जयदयाल के अलावा अन्य कोई जायन्दा पुत्र नहीं है।केवल जडाव का पति गुरूदयाल ही मुखा के पास घर जवांई रहता था ।मुखा के देहान्त के बाद उक्त आराजी को प्रतिववादी सं0-। से 4 एवं गुरूदयाल ने बालाबाला अपने नाम दर्ज करवा ली तथा इस आराजी से प्रार्थीनी को बेदखल कर आराजी को बैचान करने की धमकी दे रहे है जिस पर यह प्रार्थना पत्र अदालत मातहत में पेश किया जिसे अदालत मातहत ने स्वीकार कर उक्त आराजी को बिक्रय, दान रहन आदि से किसी को हस्तान्तरित नहीं करने के लिये पाबन्द किया गया । इस आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । रेस्पोडेन्ट संख्या-। ने अपने प्रार्थना पत्र मे यह स्वीकार किया है कि अपीलान्ट का विवादित आराजी में 1/30 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है तथा पैरा स0 -2 दर्ज भूमि अप्रार्थी सं0-5 से 8 के पूर्वज गुरूदयाल के नाम दर्ज है ।इस प्रकार उक्त आराजी राजस्व रेकार्ड मे अपीलान्ट के नाम दर्ज है । विवादित आराजी के अपीलान्ट रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है और एक रेकार्डेड खातेदार काश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता ।रेस्पोडेन्ट संख्या-। ने

दर्ज नहीं है ।तथा मुखाराम के पास गुरूदयाल घर जवाई रहता था ।मुखाराम का अपील के पैरा संख्या-2 में वर्णित आराजी में 1/30 हिस्सा, धारा-4 में वर्णित आराजी में मुखा का 1/4 हिस्सा एवं अपील के पैरा सं0-3 में दर्ज भूमि का मुखा टीनेन्ट है । इस प्रकार रेस्पोडेन्ट ने उक्त आराजी के शेष खातेदारों को प्रार्थना पत्र में पक्षकार तक नहीं बनाया। इस बिन्दू पर भी अदालत मातहत ने कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है । अदालत मातहत ने रेस्पोडेन्ट सं0-1 को श्योदान की पत्नी होना माना है। रेस्पोडेन्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी दर्ज नहीं किया कि उसने मुखा के देहान्त से पूर्व श्योदान से विवाह नहीं किया हो ।मैने मेरे जबाब प्रार्थना पत्र मे दर्ज किया है कि राशन कार्ड मतदाता सूचियों में रेस्पोडेन्ट सं0-1 श्योदान की पत्नी है ।रेस्पोडेन्ट संख्या-1 ने प्रार्थना पत्र में महत्वपूर्ण तथ्यो को छिपाया है । इसके बाद भी अदालत मातहत ने रेकार्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में कानूनी भूल की है । दावा संख्या-82/1984 में रेस्पोडेन्ट संख्या-1 के पति ने इस दावे में अन्य प्रतिवादीगण के साथ राजीनामा किया है जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या-1 का विवा -दित आराजी में कोई हक हिस्सा होना नहीं माना है ।तथा रेस्पोडेन्ट सं0-1 मुखाराम के पुत्र की विधवा हो ऐसा भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है ।इसके बाद भी अदालत मातहत ने एक रेकार्डेड खातेदार काश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने मे कानूनी भूल की है ।अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । परिवार राशन कार्ड न0-994 में चावली श्योदान की पत्नी दर्ज है । पंचायत मतदाता सूची 1994 में ग्राम कूरण्ड के वार्ड- 16 के क्रम सं0-94 पर चावली बेवा श्योदान उम्र 48 वर्ष दर्ज है ।इसी प्रकार पंचायत मतदाता सूची 1999 की क्रम सं0 90 पर चावली पत्नी श्योदान 51 वर्ष दर्ज है ।पंचायत मतदाता सूची 2004 की क्र0सं0110 पर चावली बेवा श्योदान-60 वर्ष दर्ज है ।दान पत्र दिनांक 30-8-80 में मुखाराम ने अपने नाम की खातेदारी अपने जवाई गुरूदयाल के नाम की है ।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्वीकृत तथ्य है कि मुखाराम के 5 लडकिया एवं एक पुत्र हुआ । पुत्र जयदयाल का देहान्त मुखाराम के जीवनकाल में ही हो गया । रेस्पोडेन्ट ने यह भी स्वीकार किया है मुखाराम के कोई पुत्र सन्तान नहीं रहने पर उसने अपने जवाई गुरूदयाल को घर जंवाई रखा था ।अर्थात विवादित भूमि पर गुरूदयाल का कब्जा रहा ।राशन कार्ड, मतदाता सूचियों मे धापली जयदयाल के देहान्त के बाद श्योदान की पत्नी बन कर रहने लगी यह तथ्य राशन कार्ड एव मतदाता सूचीयो से स्पष्ट है ।परिवार राशन कार्ड स्वय श्योदान के द्वारा बनवाया हुआ है । जिसमें धापली पत्नी दर्ज है । तथा मुखाराम ने अपनी खाते -दारी की आराजी का दान पत्र भी अपने जवाई गुरूदयाल के नाम किया है । दान पत्र रजिस्टर्ड है ।इन सभी तथ्यो से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर अपीलान्ट काबिज काश्तकार है जिनकों अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना विधि संगत नहीं मानते हैं ।

अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी खेतडी का निर्णय दिनांक 19-6-2007 खारिज किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 24.1.2018 को सुनाया गया ।

24/1/18

(भंवरलाल मेहरडा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर